न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलारा श्री नीरज मिश्र, आर०ए०एस०

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
डिम्पल कुमारी पत्नी स्व. मुकेश कुमार जाति घांची निवारी पालडीएम तहसील शिवगंज जिला सिरोही **विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी**		1.ग्राम पंचायत पालडीएम 2.श्रीमती रोतीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति घांची निवारी पालडीएम तह० शिवगंज **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा** रेस्पोडेंट सं० 2

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–04/2024

– : निर्णय : –

दिनांक 19.08.2025

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3997 दिनांक 06.04.2024 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पालडी एम, तहसील शिवगंज में अपीलान्ट के पति स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हकमाराम जी निवासी पालडी एम की स्वअर्जित संपत्ति के खसरा संख्या 363 रकबा 1.5540 हैक्टेयर किस्म ब–2 आराजी आई हुई है। स्वर्गीय श्री मुकेशकुमार की मृत्यु होने पर उक्त आराजी के सम्बंध में उपरोक्त नामान्तकरण के जरिए रेस्पोन्डेन्ट संख्या दो व अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर रेस्पोडेंट संख्या दो व अपीलान्ट के नाम उक्त आराजी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रही है। मातहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश गलत व विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त खसरा संख्या 364/3 रकबा 1.5540 हैक्टेयर की आराजी अपीलान्ट के पति स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार घांची की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिन्होने उक्त आराजी को जरिए पंजीकृत विकय विलेख कमांक 202203325102564 पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 500 में पृष्ट संख्या 35 दिनांक 27.07.2022 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। स्वर्गीय मुकेश कुमार की मृत्यु पर उनकी पत्नि व माता के नाम से नामांतरकरण दायर किया गया, जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। मुकेश कुमार की मृत्यु पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम से नामांतरकरण दायर किया जाना चाहिए था, लेकीन स्वं श्री मुकेश कुमार की पुत्री सारीका कुमारी के नाम से नामान्तकरण दायर नहीं किया जाकर केवल उनकी पत्नि व माता के नाम से ही नामान्तकरण दायर किया गया है। स्वर्गीय मुकेश कुमार की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सारिका कुमारी की मृत्यु हुई जिससे उक्त नामांतकरण पहले उनके वारिस एवं उत्तराधिकार के नाम से प्रत्येक का 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाना था लेकीन राजस्व अधिकारीयों ने उक्त गलत व विधि विरूद्ध नामान्तकरण दायर कर केवल मात्र स्वं. मुकेश कुमार की पत्नि व माता के नाम से प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जो स्वथा विधि विरुद्ध हैं। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। उक्त नामांतकरण स्वं मुकेश कुमार के वारिस एवं उत्तराधिकार के नाम से किया जाकर उसके पश्चात स्वं सारीका कुमारी का 1/3 हिस्सा कृषि आराजी का नामांतरण उनकी प्रथम क्षेणी के उत्तराधिकारी माता श्रीमती डिम्पल कुमारी के नाम से नामांतकरण दर्ज किया जाना था। विवादित नामान्तकरण सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलांट अधिवक्ता ने उपरोक्त अपील के सम्बध में निम्नलिखित न्यायिक दृ[illegible] प्रकार है–

Daughters are first class heir an[illegible] the property of the father along with the sons in case of non & testamentary succe[illegible]

2011 (1) RLW RJ Page 410-
Sajjan Kunwar V/s Smt- Uchhab Kanwar

'If a Hindu male died intestate then all property belonged to deceased will devolve firstly to the class I heirs of the deceased- 2012 (2) RRT Page 850-MohanLal & Ors V/s Krishna & Ors

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार, की मृत्यु पर उनके सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकीन सभी उत्ताधिकारीयों के नाम से नामान्तकरण दायर नहीं किया गया है. इस कारण आदेश सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से नामान्तकरण निरस्त किए जाने योग्य है। मातहत अदालत ने उक्त आदेश पारित करने से पुर्व अपीलान्ट को सुनवाई का किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा बिना सुनवाई का अवसर दिए उक्त आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्ट की आराजी में हक अधिकार प्रभावित होते है, इस प्रकार पारित आदेश प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के विरुद्ध है। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश अपीलान्ट की पीठ पीछे अपीलान्ट को क्षतिकारित करने के आशय से पारित किया गया है, अपीलान्ट का अहमदाबाद में ईलाज चलने से उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 28.08.2024 को होने पर उसी रोज नकल प्राप्त की तथा अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील प्रस्तुत करवा रही है, अपीलान्ट को आदेश की जानकारी दिनांक 28.08.2024 को होने से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत है, फिर भी धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्यां 3997 दिनांक 06.04.2024 को निरस्त करना फरमावें तथा स्वर्गीय श्री मुकेश कुमार के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयों के नाम नामान्तकरण दर्ज किए जाने तथा स्वं सारीका कुमारी के 1/3 हक हिस्सा कृषि आराजी को स्वं सारीका कुमारी के प्रथम क्षेणी के उत्तराधिकारीयों माता श्रीमती डिम्पल कुमारी पत्नि स्वं श्री मुकेश कुमार के हक में नामान्तकरण दर्ज कर श्रीमती डिम्पल कुमारी पत्नि स्वं श्री मुकेश कुमार के नाम पर उपरोक्त कृषि आराजी खसरा संख्या 364/3 रकबा 1.5540 हैक्टेयर में कुल 2/3 हक हिस्से का नामांतकरण दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। दिनांक 08.11.2024 को रेस्पोडेंट सं0 2 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का सम्मन तामिल होने के उपरांत भी समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध दिनांक 23.04.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 5.8.2025 को उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस में कथन किये कि स्वर्गीय मुकेश कुमार की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सारिका कुमारी की मृत्यु हुई जिससे उक्त नामांतकरण पहले उनके वारिस एवं उत्तराधिकार के नाम से प्रत्येक का 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाना था लेकिन राजस्व अधिकारीयों ने उक्त गलत व विधि विरूद्ध नामान्तकरण दायर कर केवल मात्र स्वं. मुकेश कुमार की पत्नि व माता के नाम से प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जो र्स्वथा विधि विरुद्ध हैं। साथ ही अपीलांट अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट का अहमदाबाद में ईलाज चलने से तथा पीठ पीछे समस्त कार्यवाही होने से अपीलाधीन आदेश आदेश पारित होने की जानकारी अपीलांट को दिनांक 28.08.2024 को होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी उचित व स्वभाविक है। साथ ही अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रही कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के नाम से 2/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार पटवारी हल्का से दिनांक 28.08.2024 को राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में 2/3 हिस्से की जगह 1/2 हिस्सा ही दर्ज हुआ है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नहीं रही है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील को अंदर म्याद लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है–

1–(2022)3 ALT 612 (2022)3 AndhLD 668 माननीय उच्च न्यायालय नंदयाला पेडा त्रिपूला रेडडी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के निर्णय दिनांक 23.02.2022

2–हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21

तथा रेस्पोडेंट सं0 2 के अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन कर बताया कि अपीलांट के पति व पुत्री दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई है। जिससे जमावंदी में वर्तमान में दर्ज हिस्सा सही है। अपनी बहस के समर्थन में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 की गूगल प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–3

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया व उस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट का अहमदाबाद में ईलाज चलने से तथा पीठ पीछे समस्त कार्यवाही होने से अपीलाधीन आदेश आदेश पारित होने की जानकारी दिनांक 28.08.2024 को होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी उचित व स्वाभाविक है। साथ ही अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रही कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के नाम से 2/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम वार पटवारी हल्का से दिनांक 28.08.2024 को राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में 2/3 हिस्से की जगह 1/2 हिस्सा ही दर्ज हुआ है। न हि नामांतरकरण दर्ज किये जाने से पहले संबंधित विभाग द्वारा उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में नामान्तरण स्वीकृत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से काबिल खारीज योग्य है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है जिसके अनुसार "A daughter is entitled to the share in the property of her father and this right does not extinguish that her death took place before her father's death." जग्गीबाई बनाम भवंरलाल व अन्य 1994 RBJ 43 साथ ही **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 समसामयिक मृत्यु के विषय में उपधारणा–** "जहां दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरे हो जिनमें यह अभिनिश्चित हो उनमें से कोई दुसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं और रहा तो कौन सा, जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, सम्पत्ति के उत्तराधिकार संबंधी सब प्रयोजनों के लिये यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।" अतः सरपंच ग्राम पचायत पालडीएम द्वारा भरा गया नामांतरकरण न्यायिक प्रकिया एवं विधि सम्मत नहीं होने से **नामान्तकरण संख्या 3997 में सरपंच ग्राम पंचायत पालडीएम द्वारा पारित आदेश दिनाक 06.04.2024 को अपास्त किया जाता है** व तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि ग्राम पालडीएम के खसरा नं0 364/3 कुल रकवा 1.5540 हैक्टयर भूमि में स्व0 मुकेश कुमार की मृत्यु के पश्चात प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी सारिका कुमारी (पुत्री), डिम्पल कुमारी(पत्नी) व सोतीदेवी (माता) होने से अपीलांट का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज 1/2 हिस्से की जगह उनकी पुत्री का 1/3 हिस्सा भी अपीलांट (डिम्पल कुमारी प्रथम श्रेणी के वारिसान) के हिस्से में **यानि 2/3 हिस्सा व रेस्पोडेंट सं. 2 का 1/2 की जगह 1/3 दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते है। नामान्तरकरण संबंधी कार्रवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से कर प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 481
दिनांक 19.08.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested